UPET060012622024

**<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०), त्वरित न्यायालय, एटा।</u>**
**<u>उपस्थितः गरिमा आर्य,जे०ओ०कोड-UP 4737 उ०प्र० न्यायिक सेवा</u>**

**सिविवाद संख्या- 23/2025**

मुनेश कुमार-----बनाम-----शाखा प्र० उ०प्र० सहकारी ग्राम्य बैंक आदि

**<u>दिनांकः 24.07.2026</u>**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

**<u>लंच बाद</u>**

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। वाद पुकारा गया। बार-बार पुकार करने पर भी वादी अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्तिथ हैं। वादी को उपस्थित होने के कई अवसर प्रदान किये गये, परन्तु वादी अनुपस्थित रहा, जबकि प्रतिवादीगण नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि वादी उपरोक्त सिविलवाद की कार्यवाही चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः उपरोक्त सिविल वाद वादी की अनुपस्थित में तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

**-<u>आदेश-</u>**

सिविलवाद संख्या-23/2025 वादी की अनुपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(गरिमा आर्य)**
**J.O. CODE-UP 4737**
**सिविल जज (जू०डि०) त्वरित न्यायालय,**
**एटा।**